

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रकाशरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, शुक्रवार अगस्त 18, 1972/श्रावण 27, 1894
No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 1972/SRAVANA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th August 1972

SUBJECT.—*Import Policy for the year April, 1972—March, 1973.*

No. 120-ITC(PN)/72 .—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for the April 1972—March 1973 period.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control policy (Red Book-Vol. I) for the period April 1972-March 1973 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments.
28.	Section II, S. No. 11/II, Column 4, Remark (ii)	The existing remark (ii) may be deemed to have been substituted by the following :— “(ii) A.U. for import of the following items :— (a) 10% to 18% nickel silver section for manufacture of spectacle frames/spectacle hinges...

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
		(b) 18% Nickel silver wire rods for manufacture of spectacle frames/spectacle hinges and reinforcing wire for spectacle frames."
29.	Section II, S. No. 17(a)(i)/II, column 4, remark (2, item No. (iii)-Magnesium.	The existing entries may be deemed to have been substituted by the following:— "(iii) Magnesium Aluminium and (on restricted basis) Aluminium alloy industries. (Import of this item will be allowed upto 20% of the face value of the licence.)
33.	Section II, S. No. 30(f)/II, Column 4, remark 1	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:— "(1) A.U. in consultation with DGTD."
68.	Section II, S. No. 122 (iii)/V.	This S. No. and the entries relating thereto may be deemed to have been deleted.
69.	Section II, S. No. 122(ii)/V Column 4.	(1) The following new remark (3) may be deemed to have been inserted:— "(3) A.U. on restricted basis for import of Silicon bases." (Import will be allowed upto 20% of the face value of the licence.) (2) The existing remarks (3) and (4) may be renumbered as (4) and (5) respectively.
73.	Section III, S. No. 17(a) (i)/II. items No. (1) and (2), Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:— "Release orders to be issued by the licensing authorities."
74.	Section III, S. No. 87, 109/IV, items No. (21)-Tetanus Anti-toxin	This item and the entries relating thereto may be deemed to have been deleted.
75.	Section III, S. No. 22, 31/V. Column 4, remarks (1) — (2).	The existing remarks may be deemed to have been substituted by the following:— "(1) Release orders in respect of these items (except Cyno-pyridine and Meta aminophenol) will be issued by the licensing authorities. (2) Release orders in respect of Cyno-pyridine and Meta aminophenol will be issued by the authorities as indicated below:— (i) Cyno-pyridine.—Release orders to be issued by the State Drugs Control authorities. (ii) Meta aminophenol.—(a) In the case of small scale unit release orders will be issued by the State Drugs Control authorities. (b) In the case of units borne on the books of the DGTD, release orders will be issued by the licensing authorities."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments.
110.	Section V, Appendix 4, List D (Part II) Item No. 31.	For the existing description <i>Read</i> "Under carriage parts."
153.	Section V, Appendix 16, Item No. 17 Black centered Card Board.	The import of this item to actual users for manufacture of playing cards will be allowed on a restricted basis. (Import will be allowed upto 20% of the face value of the licence or Rs. 10,000/-whichever is less.)
162.	Section V, Appendix 19, Paragraph 4, List of canalised items, Item No. (18)- Tetanus Antitoxin.	This item may be deemed to have been deleted.
167.	Section V, Appendix 19, List II, item No. 84-Sear and Vaccines.	The following items may be deemed to have been inserted at S. No. (vii) :— "(vii) Tetanus antitoxin serum."
167	Section V, Appendix 19, List II.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place :— "Meprobamate"
168.	Section V, Appendix 19, List III, Item No. 11- Meprobamate.	This item may be deemed to have been deleted.
189 .	Section V, Appendix 24, List III of Annexure, Item No. 28, Dimethylaniline.	Import of this item will be allowed to actual users upto 5% of the face value of the licence.
197 .	Section V, Appendix 28 List II, Item No. 9- Ammonium Thiocyanate (also known as Ammonium Sulpho- cyanate, Thiocyanate of Rhodanide and Rhodanatum).	This item may be deemed to have been deleted.
296.	Section V, Appendix 68, paragraph 5.	The name of industry mentioned at (b) may be deemed to have been substituted by the following :— "(b) Electronic components, Electronic and Electromedical instruments industry."

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1972

विषय :—अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 के लिए आयात नीति ।

पं.सा 120-आई० टी० सी० (पी एन)/72.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संगोधन अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेड बुक (वा०
1) की पृष्ठ
संख्या

संदर्भ

संगोधनों के खोरे

1

2

3

28 खंड 2, क० सं० 11/2, कालम 4,
टिप्पणी (ii) ।

वर्तमान टिप्पणी (ii) को निम्नलिखित द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

“(2) निम्नलिखित मदों के लिए वास्तविक
उपयोक्तता :—

(ए) चश्मे के फ्रेम और चश्मे के कोरों के
निर्माण के लिए 10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत
तक निकट सिलवर सेक्शन ।

(बी) चश्मे के फ्रेमों/चश्मे के कोरों के निर्माण
के लिए 18 प्रतिशत निकट सिलवर वायर
राउड तथा चश्मे के फ्रेमों के लिए रिड-फो-
सिंग वायर ।”

1	2	3
29 खंड 2, क्रम संख्या 17(ए) (i)/2, कालम 4, टिप्पणी (2), मद संख्या (3)—मैगनिशियम।	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—	
	(3) मैगनिशियम (प्रति-वस्तुता के आधार पर)	एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम एलाय उद्योग। (इस मदे के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत तक दी जाएगी)।
33 खंड 2, क्रम संख्या 30(एफ), कालम 4 टिप्पणी (1)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—	
	“(1) डी० जी० डी० डी० के परामर्श से वास्तविक उपयोक्ता।”	
68 खंड 2, क्रम संख्या 122(3)/5	इस क्रम संख्या को तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटाया गया समझा जाए।	
69 खंड 2, क्रम संख्या 122(51)/5, कालम 4।	(1) निम्नलिखित नई टिप्पणी (3) को शामिल किया गया समझा जाए :— “(3) सिलिकन बेसो के आयात के लिए प्रतिबंधिता के आधार पर वास्तविक उपयोक्ता।” (आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत तक दी जाएगी)। (2) वर्तमान टिप्पणी (3) और (4) को क्रमशः (4) और (5) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए।	
73 खंड 3, क्रम संख्या 17(ए) (1)/2, मद संख्या (1) और (2), कालम 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— “रिहाई आदेश लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाना है।”	
74 खंड 3, क्रम संख्या 87, 109/4 मद संख्या (21)—टेटनस एन्डीटीक्सिन	इस मद को तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को हटाया गया समझा जाए।	

1

2

3

- 75 खंड 3, क्रम संख्या 22, 31/5, कालम वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रति-
4 टिप्पणी (1) और (2) स्थापित किया गया समझा जाए :—

“(1) इन मदों (साइनो-पाइरिडाइन और मेटा एमिनोफिनोल को छोड़कर) के सम्बन्ध में रिहाई आदेश लाहसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा ।

- (2) साइनो-पाइरिडाइन और मेटा एमिनोफिनोल के सम्बन्ध में रिहाई आदेश नीचे संकेतित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे :—

- (1) साइनो-पाइरिडाइन रिहाई आदेश
राज्य भेषज
नियंत्रण प्राधि-
कारियों द्वारा जारी
किया जाना है

- (2) मेटो एमिनोफिनोल : (ए) लघु उद्योगों के मामले में रिहाई आदेश राज्य भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे ।

(बी) डी जी टी डी को किताब में आए हुए यूनिटों के मामलों में रिहाई आदेश लाहसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे ।”

- 110 खंड 5, परिशिष्ट 4, सूची डी (भाग 2), वर्तमान विवरण के लिए “वाहन पुर्जों के अन्त-
मद संख्या, 31 । गैत” पढ़ें ।

1	2	3
153	खंड 5, परिशिष्ट 16, मद संख्या 17, इलेक्ट्रिक मेन्ट्रल कार्ड बोर्ड ।	ताश के पत्तों के उत्पादन के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को इस मद के आयात की स्वीकृति प्रतिबन्धना के आधार पर दी जाएगी । (आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत या 10,000 रुपये इन में जो भी कम हो तक दी जाएगी) ।
162	खंड 5, परिशिष्ट 19, कंडिका 4, मरणीबद्ध मदों की सूची, मद संख्या 18—टेटनस एन्टिटाक्सिन ।	इस मद को निकाला गया समझा जाए ।
167	खंड 5, परिशिष्ट 19, सूची 2, मद संख्या 84 निम्नलिखित सीरा और बैक्सिन :—	निम्नलिखित मद को क्रम संख्या (7) के रूप में शामिल किया गया समझा जाए :— “(7) टेटनस एन्टिटाक्सिन सीरम ।”
167	खंड 5, परिशिष्ट 19, सूची 21 ।	निम्नलिखित मदों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया समझा जाए :— “मैप्रोबेमेट ।”
168	खंड 5, परिशिष्ट 19, सूची 3, मद संख्या 11—मेप्रोबेमेट ।	इस मद को निकाला गया समझा जाए ।
189	खंड 5, परिशिष्ट 24, अनुबन्ध की सूची 3, मद संख्या 28—डायमेथिलनाइलिन ।	वास्तविक उपयोक्ताओं को इस मद के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक दी जाएगी ।
197	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मद संख्या 9—अमोनियम थियोसाइनेट (रोडेनाइड और रोडेनैटम के अमोनियम सल्फसाइनेट के रूप में भी जाना जाता है) ।	इस मद को निकाला गया समझा जाए ।

1	2	3
296 खं० 5, परिशिष्ट 68, कंडिका 5।	(बी) पर उल्लिखित उद्योग के नाम को निम्न-लिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—	
	(“बी) इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो-मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्स इन्डस्ट्री।”	

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।